116

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 A 6801/16 A-4142-I-16

1–विष्णु शर्मा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा

2–शिवनारायण पुत्र चिरोंजीलाल धाकड

3–मलिखान पुत्र रामस्वरूप धाकड

निवासी ग्राम सेहुला तह0 विजयपुर जिला

श्योपुर म0प्र0 ....अपीलान्ट

बनाम

1–म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय श्योपुर

2–रामदयाल पुत्र लालाराम जाति राठौर

निवासी शास0 अस्पताल के सामने विजय

पुर तह0 विजयपुर जिला श्योपुर

3–राम सिंह तौमर सम्भागीय संयोजक

एकता परिषद गान्धी आश्रम जौरा तह0

जौरा जिला मुरैना

4–बाबूलाल उर्फ खेमराज पुत्र चौखेलाल

निवासी पुरावस खुर्द (किशोरीसिंह का पुरा)

तह0 अम्बाह जिला मुरैना

..................रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28/07/2016 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क0 189/2012–2013 अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) म0प्र0भू0रा0 संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम सेहुला तह0 विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क0 बन्दोबस्त के पूर्व पुराना नम्बर 37/5 तथा बन्दोबस्त के बाद नवीन सर्वे नम्बर 32 रकबा 4.49 है0 शासकीय होकर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से कब्जा होकर कास्त करते चले आ रहे है।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4142—एक / 16 जिला —श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
14.7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ वोटर कार्ड की लिस्ट संलग्न की है तथा उपस्थिति पत्रक भी प्रस्तुत किया गया है । आवेदक के रूप में विष्णु शर्मा एवं मलखान एवं शिवनारायण द्वारा आदेश पत्रिका पर भी स्वयं उपस्थित होकर हस्तक्षर किये गये है जिसका सत्यापित आवेदक अधिवक्ता द्वारा किया गया है। 2— अतः आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	